पर की गई प्रारंभिक जांच करने के बाद भी 12 मई, 1997 तक कोई कार्यवाही शुरू न किए जाने के क्या कारण हैं।

(h) शिकायतों का निपटान करने के लिए आयोग की अधिकतम कितना समय लगता है;

(i) क्या आयोग अपनी कार्यवाहियों को सार्वजनिक करता है तथा क्या शिकायतकर्ता को लम्बित शिकायत के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं और की गई कार्यवाही के बारे में सूचित किया गया है;

(j) 12 सितम्बर, 1997 को हुई सुनवाई के क्या परिणाम निकले हैं; और

(k) क्या शिकायतकर्ता को भी सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम):

(l) औषध उद्योग में वयाप्त कतिपय अनुचित व्यापार प्रथाओं के बारे में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (एम आर टी पी सी) में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। एम आर टी पी आयोग ने शिकायत के प्राप्त होते ही जांच का आदेश दे दिया था। शिकायत की प्रारंभिक जांच निदेशक (अनुसंधान) एस आर टी पी आयोग, ने मार्च, 1992 में 11 कम्पनियों के विरुद्ध की थी। निदेशक (अनुसंधान), जिन्होंने जांच की थी, ने आंकड़ों के लिए कई पार्टियों से सम्पर्क किया और प्रारम्भिक जांच के लिए मामला तैयार किया और सितम्बर,1993 में इसे आयोग को प्रस्तुत किया। आयोग ने यह नयायिक दृष्टिकोण अपनाया कि प्रत्येक मामले में अलग जांच रिपोर्ट कि आवश्कता होगी ताकि अन्य कम्पनियों के तथ्यों तथा आंकड़ों को,बाजार के गुप्त होने के कारण प्रतिस्पर्धिओं को प्रकट नहीं किया जा सके। इसमें कुछ समय लगा। एम आर टी पी विनियमन, 50 तथा 51 के साथ पठित धारा 10 (क) (vi) के अन्तर्गत जांच के नोटिस का इश्यू न्यायिक कार्यवाहियों के भाग हैं। आयोग ने जांच के नोटिस के इश्यू को मार्च 1997 में न्ययिक दृष्टि से देखा। मामला आयोग द्वारा सुनवाई के अन्तर्गत है और मामला न्यायाधीन है।

(ख) आयोग के समक्ष कार्यवाहियां इन मामलों में न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रकृति की है और इन मामलों के निपटाने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

(ग) कार्यवाहियां खुले नयायालय में की जाती हैं जहां जनता को आमतौर पर उपस्थि रहने की अनुमति जाती है। चूंकि आयोग के समक्ष यह मामला न्यायालय की कार्यवाहीयों की प्रकृति का है अतः कोई भी सूचना आयोग के निर्देश पर ही दी सकती है। शिकायतकर्ता आयोग को इस उद्देश्य के लिए लिखित अनुरोध करने के लिए स्वतंत्र है।

(घ) मामलों की अगली सुनवाई की तारीख 5.12.97 तय कर दी गई है।

(ङ) जब मामला सुनवाई के लिए आता है तो सिकायतकर्ता न्यायालय में उल्लेख कर सकता है या वह इस आशय का एक आवेदन फाइल कर सकता है औक आयोग के निदेंशों को प्रत्प करने के बाद ही उसे सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है।

Ordinance amending the provisions of Prasar Bharati Legislation

*97. SHRI PARAG CHALIHA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the details of the factors, considerations and circumstances which prompted Government to issue an Ordinance late last month amending some provisions of the Prasar Bharati Legislation; and

(b) what is the justification, if any, for such a hurry?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI S. JAIPAL REDDY): (a) and (b) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Act, 1990 was brought into force w.e.f, the 15th September, 1997. However, the process of constitution of the Board of Prasar Bharati could not be immediately initiated as some of the provisions of the 1990 Act became outdated and redundant and some more concrete steps were required to be taken to augment the autonomy and enhance the efficacy of Prasar Bharati. Amendments were also required to remove the overlap between Prasar Bharati and Broadcasting Authority which is proposed to be put in place through a separate enactment. In view of the above, it was considered necessary to take immediate steps for amending the principal Act, and thus enabling the constitution of the Board.